राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3647/2024

शहजाद खां **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), अजमेर।
4. मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण) निदेशक राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
5. उपवन संरक्षक, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.12.2024

आदेश की दिनांक : 16.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में टेक्निशियन तृतीय के पद पर उप वन संरक्षक, टोंक में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 18.08.2004 को हुई थी। तब से अपीलार्थी निरंतर अपनी संतोषजनक सेवायें दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ वानिकी सेटेलाईट प्रशिक्षण केन्द्र पर लगाये जाने हेतु आदेशित किया गया और उक्त आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 26.11.2024 की पालना में निकाला गया है। प्रत्यर्थी विभाग में नव नियुक्त 1150 वन रक्षकों का प्रशिक्षण वानिकी सेटेलाईट प्रशिक्षण केन्द्र पर होना निश्चित है। इस प्रकार उक्त प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया। अपीलार्थी टोंक में कार्यरत है और जिला अजमेर में नियुक्ति हेतु आदेशित किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 26.11.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन टेक्निशियन तृतीय के पद पर उप वन संरक्षक, टोंक में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.11.2024 की पालना में आलोच्य आदेश दिनांक 27.11.2024 के द्वारा कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 27.11.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग, राजस्थान में नव नियुक्त 1150 वन रक्षकों को दिनांक 01.12.2024 से 31.03.2025 तक 4 माह का संचालित किये जाने वाले 120वां वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण हेतु 8 वानिकी सेटेलाईट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं और आदेश दिनांक 26.11.2024 के द्वारा लगाये गये कोर्स टीमों को उक्त प्रशिक्षण हेतु कार्यव्यवस्थार्थ हेतु लगाया गया है और इस प्रकार हमारे मत में यह नियोक्ता का अधिकार है कि उसे किस कार्मिक की सेवायें कहां पर प्रशासनिक कारणों से लोकहित में लेनी है। अपीलार्थी को प्रशिक्षण हेतु कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया है, जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं

समझते हैं तथा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना भी प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष